भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4
में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2007

केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5)

फाइल सं0 416–1/2007 एफएन. .... भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् –

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को **केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007** कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "एक्सेस सरलीकरण" से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (जिनमें समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) के लिए, यथास्थिति, एक्सेस अथवा अंतरसंयोजन;

(ख) "एक्सेस सरलीकरण प्रभारों" से अभिप्रेत है, समुद्री केबल क्षमता के किसी स्वामी अथवा समुद्री केबल क्षमता धारण करने वाले कंर्सोटियम के किसी सदस्य से प्रयोग के अलोप्य अधिकार के आधार पर अथवा अल्पावधि पट्टा आधार पर अर्जित क्षमता के अंतरसंयोजन अथवा एक्सेस के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामी को पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय कोई प्रभार;

(ग) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

(घ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "बैकहॉल सर्किट" से अभिप्रेत है कोई घरेलू दूरसंचार सर्किट जो किसी केबल लैंडिंग स्टेशन को इसके परिसरों में पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की अवसंरचना अथवा उपस्कर से जोड़ता है;

(च) "केबल लैंडिंग स्टेशन" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है–

(i) जिस पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता बैकहॉल सर्किट से संपर्क योग्य है;

(ii) जिस पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता कि एक्सेसिंग के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबलें तट पर उपलब्ध हैं; और ऐसे स्थान जिसमें शामिल हैं ऐसे भवन जिनमें बैकहॉल सर्किटों से जुड़ने के लिए समुद्री केबल के तटवर्ती छोर और उपस्कर निहित है;

(छ) "केबल लैंडिंग स्टेशन–रेफेरंस इंटरकनेक्शन ऑफर" से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा की गई कोई ऑफर जिसमें विनियम 3 के उप विनियम (3) के अधीन प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकाशित एक्सेस सरलीकरण और उपस्कर के सह–स्थान (जिसमें अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल की संपर्कयोग्य प्रणाली के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों हेतु लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) के निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हैं;

(ज) "सह–स्थान सुविधाओं" से अभिप्रेत है समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन पर सुविधाएं (जिनमें भवन स्थान, बिजली, पर्यावरण सेवाएं, सुरक्षा और स्थल अनुरक्षण शामिल हैं) जोकि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करने के लिए (जिसमें सह–स्थान उपस्कर की स्थापना शामिल है) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को प्रदान की जाती है।

(झ) "सह–स्थान प्रभारों" से अभिप्रेत हैं प्रयोग की गई सुविधाओं के प्रकार के आधार पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूररसंचार संस्था द्वारा देय प्रभार; एक्सेस प्राप्तकर्ता होने के नाते ऐसे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपस्कर को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के परिसरों पर स्थापित करने के लिए, जो इसके केबल लैंडिंग स्टेशन को एक्सेस प्रदान करता है, और इसमें उक्त प्रयोजनों के लिए स्थान, बिजली आपूर्ति, भौतिक सुविधाओं की एक्सेसिंग, सह–स्थान जगह के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए प्रभार शामिल हैं।

(ञ) "सह–स्थान लीड–टाइम" से अभिप्रेत है पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को सह–स्थान जगह उपलब्ध कराने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा लिया गया समय;

(ट) "क्षमता स्वामी" से अभिप्रेत है एक कोई अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार वाहक अथवा विदेशी वाहक अथवा भारतीय अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक जो भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग की क्षमता का स्वामित्व रखता है;

(ठ) "पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था" से अभिप्रेत है –

(i) कोई अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, जो इस प्रकार कार्य करने का लाइसेंस धारण करता है, तथा, जिसे लाइसेंस के अधीन भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल सिस्टम लैंडिंग में अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है; अथवा

(ii) एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो इस प्रकार कार्य करने के लिए वैध अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति अथवा लाइसेंस धारण करते हैं, तथा, जिन्हें लाइसेंस के अधीन भारत में केबल

लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल सिस्टम लैंडिंग में अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ड) "ग्रूमिंग सेवा" से अभिप्रेत है ऐसे स्थान अथवा बिंद पर समुद्री केबल से उच्च क्षमता के आउटपुटों का विखण्डन जिन पर ये पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बैकहॉल सर्किटों के कनेक्शन के लिए निम्न क्षमता वाले चैनलों में समाप्त होते हैं;

(ढ) "अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक" से अभिप्रेत है कोई सेवा प्रदाता अथवा प्रचालक जिसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने हेतु इस प्रकार कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ण) "प्रयोग का अलोप्य अधिकार" से अभिप्रेत है संदर्भ क्षमता का प्रयोग करने का अधिकार—

(i) दीर्घावधि पट्‌टे पर ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए समुद्री केबल प्रभावी प्रयोग में रहती है;

(ii) जो क्षमता स्वामी तथा किसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच किए गए किसी करार के अंतर्गत अर्जित किया गया हो (जिसमें उपस्कर, फाइबर अथवा क्षमता शामिल है);

(iii) जिसके संबंध में उपगत अनुरक्षण लागत इस खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट करार की वैधता अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में देय बन जाती है;

(त) "लाइसेंस" से अभिप्रेत है प्रदत्त अथवा प्रभावी ऐसा लाइसेंस जैसेकि यह भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) तथा भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 4 के अंतर्गत प्रदान किया गया है;

(थ) "प्रचालन और अनुरक्षण प्रभारों" से अभिप्रेत है वार्षिक प्रभार—

(i) जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय है;

(ii) जो ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन की क्षमता को एक्सेस करने के लिए सुविधाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए हैं;

(द) "संदर्भ क्षमता" से अभिप्रेत है अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता, —

(i) समुद्री केबल प्रणाली में, जो भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर लैंड करती है;

(ii) जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अर्जित अथवा लीज की गई है;

(iii) जो समुद्री केबल प्रणाली के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली के कंसोर्टियम के किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा क्रियाशील की गई है;

(ध) "विनियमों" से अभिप्रेत है केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं (जिसमें समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं शामिल हैं) हेतु अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007;

(न) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) "निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल" से अभिप्रेत है कोई समुद्री केबल जिसकी भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग क्षमता है;

(फ) "केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी" से अभिप्रेत है कोई सेवा प्रदाता जो भारत में समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी है और उसका संचालन करता है तथा जिसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ब) "वास्तविक सह–स्थान" से अभिप्रेत है –

(i) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का स्थान, जोकि केबल लैंडिंग स्टेशन के बाहर है, चाहे वह ऐसे स्थान के साथ ही है अथवा दूरवर्ती है;

(ii) ऐसा स्थान जिस पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने उपस्कर को स्थापित कर सकेगी ताकि केबल लैंडिंग स्टेशन से उप–समुद्री केबल क्षमता को एक्सेस किया जा सके;

(भ) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए तथा अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें, यथास्थिति, क्रमशः अधिनियम अथवा नियमों अथवा अन्य विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय II
केबल लैंडिंग स्टेशन तथा संबंधित अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस

3. **केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन तथा संबंधित अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेस का प्रावधान** – (1) प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी अपने प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंध में, –

(क) अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पर, उचित तथा गैर–भेदभावपूर्ण निबंधन और शर्तों पर, किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता को एक्सेस करने का अनुरोध करने वाले किसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूररसंचार संस्था को एक्सेस प्रदान करेगा;

(ख) भारत में इसके केबल लैंडिंग स्टेशन पर इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप ऐसी निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल लैंडिंग अंतरसंयोजित करेगा;

(ग) किसी सेवा प्रदाता को, जिसे लाइसेंस के अंतर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, अपने केबल लैंडिंग स्टेशन पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं प्रदान करेगा;

(घ) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, प्राधिकरण को इसके अनुमोदन के लिए एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसमें एक्सेस सरलीकरण और सह–स्थान सुविधाओं, जिनमें इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप विनिर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए इसके केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात

"केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव" कहा गया है) शामिल हैं, के निबंधन एवं शर्तें अंतनिर्हित होंगी –

परंतु यह कि ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के मामले में जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अस्तित्व में आता है, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के अस्तित्व में आने की तारीख को अथवा उससे पूर्व, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के संदर्भ में केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्राधिकरण को इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) सह–स्थान प्रभारों सहित प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव उप–विनियम (1) के अंतर्गत प्राधिकरण को इसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिए इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को उप–विनियम (1) के अंतर्गत इसके प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर अनुमोदित करेगा –

परंतु यह कि यदि प्राधिकरण की यह राय है कि दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं अथवा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, अथवा दूरसंचार क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करने, उसे प्रोत्साहन देने अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में परिवर्धन करने की आवश्यकता है, अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव को इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, तो वह केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंधित स्वामी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे स्वामी से उसके द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव को परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसा स्वामी ऐसे परिवर्धन करेगा और परिवर्धनों के लिए अपेक्षा की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे परिर्वधनों को अंतर्विष्ट करने के पश्चात् उक्त प्रस्ताव को प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, प्राधिकरण द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अपनी वेबसाइट पर तथा प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी अन्य रीति से, प्रकाशित करेगा तथा उसकी एक प्रति इस आशय की पुष्टि के साथ कि ऐसा प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुरूप तथा इस उप–विनियम में निर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया गया है, प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

(5) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, जो उप–विनियम (4) के अधीन प्रकाशित अपने केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में कोई परिवर्धन करने का इच्छुक है, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में ऐसे सभी परिवर्धनों को प्राधिकरण की पूर्व–अनुमति के लिए प्रस्तुत करेगा।

(6) इन विनियमों के सभी प्रावधान, जो केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए लागू होते हैं, उप–विनियम (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के परिवर्धनों पर यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

4. केबल लैंडिंग स्टेशन के एक्सेस सरलीकरण तथा संबद्ध अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा आवेदन – (1) किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुदी केबल क्षमता को एक्सेस करने का इच्छुक प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूररसंचार संस्था एक्सेस सरलीकरण के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को पंजीकरण शुल्क के साथ, जोकि ऐसी संस्था द्वारा देय एक्सेस सरलीकरण प्रभारों के बदले में बाद में समायोजित किया जाएगा, अनुसूची के भाग I में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन करेगा, जिसमें निम्नलिखित भी संलग्न होंगे, अर्थात–

(क) अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालन के रूप में कार्य करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लाइसेंस करार की एक प्रति अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए वैध अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति के साथ लाइसेंस करार की एक प्रति, जैसा भी मामला हो;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा एक प्रमाण–पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि इसे अन्तरराष्ट्रीय गेटवे के प्रचालन के लिए भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अथवा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण, यदि विधि के अंतर्गत कोई हो, द्वारा अनुमति अथवा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) समुद्री केबल के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली का स्वामित्व रखने वाले कंसोर्टियम के सदस्य अथवा संबंधित केबल प्रणाली में क्षमता स्वामी से, संयुक्त रूप से अथवा भिन्न–भिन्न, एक पुष्टि जिसमें यह कहा गया हो कि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूररसंचार संस्था संदर्भ क्षमता की बिक्री अथवा पट्टे के लिए उसके अथवा उनके साथ करार अथवा समझौता ज्ञापन कर चुकी है।

(घ) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रमाण–पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि यह संदर्भ क्षमता का उपयोग इसके लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुरूप ही करेगी।

(2) उप–विनियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट पुष्टि में, अन्य बातों के साथ, निम्न निर्दिष्ट किया जाएगा –

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा वार्षिक पट्टे के आधार पर अर्जित की गई अथवा अर्जित करने के लिए सहमत इकाइयों की संख्या;

(ख) उप–विनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट संदर्भ क्षमता के पट्टे की अवधि जिसे प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा वार्षिक पट्टे के आधार पर अर्जित किया जाना है अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमति है;

(ग) निम्न से संबंधित तकनीकी जानकारी –

(i) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा प्रासंगिक समुद्री केबल प्रणाली में अर्जित की गई अथवा अर्जित करने के लिए सहमत संदर्भ क्षमता का स्लॉट आवंटन;

(ii) अर्जित अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमत क्षमता का धारक पदनाम;

(iii) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा संदर्भ क्षमता के परीक्षण की अंनतिम तारीख अथवा प्रत्याशित तारीख।

5. विनियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पुष्टि – (1) केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी, एक्सेस सरलीकरण के लिए आवेदन तथा विनियम 4 के अधीन अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्राप्त होने के बाद से दस दिन की अवधि के भीतर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को ऐसा एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण के ब्यौरे तथा एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने की उसकी योग्यता की उसकी पुष्टि भेजेगा।

(2) यदि किसी वैध कारण से केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए, यथास्थिति, एक्सेस सरलीकरण पद्धति अथवा उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट, किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण का अनुपालन करना व्यवहार्य न हो, तो ऐसा स्वामी, विनियम 4 के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक्सेस सरलीकरण तथा किए जाने वाले अपेक्षित परीक्षण के लिए वैकल्पिक प्लान के बारे में कारणों के लिखित विवरण के साथ सूचित करेगा तथा ऐसा प्रक्रिया न अपनाने या परीक्षण न करने के वैध कारणों के बारे में भी बताएगा।

6. एक्सेस सरलीकरण प्रदान करने के लिए कोई करार करना – (1) एक्सेस सरलीकरण के लिए पुष्टि की प्राप्ति के पश्चात, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, ऐसी पुष्टि की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ एक्सेस सरलीकरण करार करेगा –

परंतु यह कि यदि विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (i) अथवा (ii) के अंतर्गत आने वाला अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता इन विनियमों के प्रारंभ होने से पूर्व किसी केबल लैंडिंग स्टेशन के किसी स्वामी के साथ कोई करार करता है, तथा ऐसे स्वामी का केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव विनियम 3 के उप–विनियम (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो ऐसा स्वामी विनियम 3 के उप–विनियम (4) के अंतर्गत उक्त प्रस्ताव के प्रकाशन के पश्चात्, इन विनियमों के अनुरूप एक्सेस सरलीकरण के लिए आवेदन करने के लिए, यथास्थिति, ऐसे अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता को एक विकल्प देगा।

(2) यदि किसी केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था उप–विनियम (1) के अंतर्गत करार करने में असफल रहता है, तो उस मामले में, अधिनियम की धारा 14 क के उपबंधों पर प्रभाव डाले बिना, दोनों, संयुक्त रूप से, किसी भी समय, उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट करार को करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु प्राधिकरण को अनुरोध कर सकेंगे।

(3) उप–विनियम (2) में निहित किसी भी बात को पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन प्रदत्त कानूनी अधिकारी को हटा लिया जाना नहीं समझा जाएगा और उनमें से कोई भी, सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान उस उप–विनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन उन्हें प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

(4) उप–विनियम (2) में निहित कोई भी बात किसी ऐसे विषय या मुद्दे पर लागू नहीं होगी जिसके संबंध में –

(क) किसी न्यायालय या अधिकरण में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम या अन्य कानून के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है; अथवा

(ख) किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण या प्राधिकरण, यथास्थिति, द्वारा पहले कोई डिक्री या निर्णय या आदेश पारित किया जा चुका है।

7. **संदर्भ क्षमता की एक्सेस के लिए मांग** – (1) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, विनियम 6 के अंतर्गत करार किए जाने के पांच दिन के भीतर संदर्भ क्षमता के लिए एक्सेस सरलीकरण प्राप्त करने हेतु अनुसूची के भाग II में यथानिर्दिष्ट ऐसे शुल्कों एवं प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(2) उप–विनियम (1) के अंतर्गत देय शुल्कों तथा प्रभारों का भुगतान प्राप्त होने पर केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, प्रयोग के विलोप्य अधिकार के रूप में अथवा करार में यथाविर्निष्ट वार्षिक पट्टा आधार पर अर्जित की जाने वाली अथवा अर्जित किए जाने के लिए सहमत इकाइयों की संख्या पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा की गई पुष्ट मांग के रूप मे विचार करेगा।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, उप–विनियम (2) में निर्दिष्ट पुष्ट मांग पर विचार करने के तुरंत पश्चात् पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सेस सरलीकरण के प्रावधान की कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

8. **पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बैकहॉल सर्किट का प्रावधान सुनिश्चित करना** – (1) प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था निम्नलिखित से बैकहॉल सर्किट के लिए विनियम 6 के उप–विनियम (1) के अधीन करार करने के पश्चात दस दिनों के भीतर बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करेगा–

(क) केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी; या

(ख) कोई सेवा प्रदाता जिसे बेसिक सेवा या सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा या अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है,

जिससे कि वह केबल लैंडिंग स्टेशन और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के परिसरों के बीच बैकहॉल सर्किट तैयार कर सके।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था पारस्परिक रूप से सहमत परीक्षण पद्धति के अनुसार आवश्यक परीक्षण करेंगे ताकि बैकहॉल सर्किट संदर्भ क्षमता के प्रावधान के लिए किए जाने वाले परीक्षणों से पूर्व अंतरसंयोजन के लिए तैयारी की स्थिति में रहें।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप–विनियम (1) के अधीन बैकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर उप–विनियम (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन का सरलीकरण करेगा।

9. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अर्जित किए जाने वाली प्रस्तावित संदर्भ क्षमता का परीक्षण – (1) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, केबल लैंडिंग स्टेशन के बैकहॉल सर्किट का सफल परीक्षण करने के पश्चात् संदर्भ क्षमता हेतु एक्सेस सरलीकरण के लिए सभी आवश्यक चरणों को पूरा करेंगे तथा ऐसे चरणों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल होगा–

(क) लिंको का परीक्षण;

(ख) ऐसे स्वामी के केबल लैंडिंग स्टेशन पर अथवा वास्तविक सह–स्थान पर सह–स्थित सेवा प्रदाता के बैकहॉल सर्किट अथवा उपस्कार की संदर्भ क्षमता का अंतरसंयोजन।

(2) विनियम 4 के अधीन आवेदक होने के नाते, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, दस दिन अथवा उनके द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अथवा भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन से दूरवर्ती छोर अथवा अन्य देशों के समुद्री केबल स्टेशन तक संदर्भ क्षमता के प्रावधान के लिए परीक्षण पद्धति के अनुसार आवश्यक परीक्षण संचालित करेंगे।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी–

(क) उप–विनियम 2 में निर्दिष्ट कदमों को उठाने के पश्चात् संदर्भ क्षमता का नियंत्रण करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक सूचना भेजेगा;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था से सभी आवश्यक भुगतान प्राप्त होने पर ऐसी संस्था को संदर्भ क्षमता तत्काल, परंतु ऐसे भुगतान की प्राप्ति के दो दिन के अपश्चात, वितरित करेगा और यथाअधिप्राप्त संदर्भ क्षमता को घोषित करेगा।

10. एक्सेस सरलीकरण प्रभार तथा भुगतान निबंधन – (1) किसी केबल लैंडिंग स्टेशन पर लैंडिंग सुविधाएं एक्सेस करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची के भाग II में यथानिर्दिष्ट एक्सेस सरलीकरण प्रभार–

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय होंगे;

(ख) एक्सेस के प्रावधान में शामिल तथा प्रणाली पूर्ण क्षमता के लिए वितरित नेटवर्क अवयवों की लागत के आधार पर अवधारित किए जाएंगे।

(2) एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन, प्रयोग के विलोप्य अधिकार की अवधि के दौरान अथवा किसी वार्षिक पट्‌टे के आधार पर, यथास्थिति प्रवृत रहना जारी रहेगी।

(3) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को केबल लैंडिंग स्टेशन पर ग्रूमिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा।

11. क्षमता उन्नयन तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा क्षमता उन्नयन प्रभारों का भुगतान – यदि केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के एक्सेस सरलीकरण के लिए क्षमता के उन्नयन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे उन्नयन के लिए अनुरोध प्राप्त होने, तथा विनियम 4 के अधीन एक आवेदक होने के नाते पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था से ऐसे उन्नयन के लिए प्रभारों के भुगतान पर, इन विनियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारस्परिक आधार पर सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार, जिनमें ऐसे उन्नयन के लिए समय–सीमा भी शामिल है, उन्नयन का सरलीकरण करेगा।

12. रद्दकरण प्रभार – (1) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था विनियम 4 के उप–विनियम (2) के खंड (क) में उल्लिखित इकाइयों की संख्या को अर्जित करने में असफल रहती है, चाहे ऐसा विनियम 7 में उल्लिखित प्राधिकार के वापस लेने अथवा करार के निरस्त होने के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से हुआ हो, तो इस प्रकार अर्जित न की गई इकाइयों के लिए रद्दकरण प्रभार ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देय होगा।

(2) उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार ऐसे होंगे, जैसेकि अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट किये गये हैं।

13. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण का समापन अथवा विच्छेदन– (1) केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण को समाप्त किया जा सकेगा–

(क) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समाप्ति अथवा विच्छेदन के माध्यम से वैध लाइसेंस धारण करना समाप्त कर देती है;

(ख) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा समुद्री केबल प्रणाली के धारक अथवा समुद्री केबल प्रणाली कंर्सोटियम के किसी सदस्य अथवा संबंधित केबल कंर्सोटियम से प्रयोग के अलोप्य आधार पर अथवा किसी वार्षिक पट्टे के आधार पर, यथास्थिति, संदर्भ क्षमता अर्जित करने की व्यवस्था समाप्त हो जाती है।

(2) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय तथा भुगतानयोग्य वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार, ऐसे प्रभारों के भुगतान योग्य होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक, असंदत्त रहता है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को प्रदान की गई एक्सेस सुविधा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को ऐसे विच्छेदन के लिए 5 दिन से अन्यून का लिखित नोटिस देने के पश्चात समाप्त कर सकेगा और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय ऐसे प्रभारों का भुगतान कर देने के बाद तत्काल एक्सेस सुविधाओं की पुनःबहाली कर दी जाएगी।

14. एक्सेस सुविधाओं की पुनःबहाली – (1) यदि विनियम 13 के अधीन पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का लाइसेंस समाप्त अथवा विच्छेदित कर दिया जाता है परंतु उसे बाद में पुनःबहाल कर दिया जाता है, तो एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था विनियम 13 के अधीन लाइसेंस के ऐसे समापन या विच्छेदन के कारण समाप्त किए जाने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा, यथास्थिति, एक्सेस सुविधाएं पुनःसंयोजित अथवा पुनःबहाल करने के प्रयोजनार्थ उपगत सभी लागतों का पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को भुगतान करने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था बहाल की जा सकेगी, तथा ऐसे पुनःसंयोजन अथवा पुनःबहाली प्रभार वे होंगे जैसाकि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा तय किए जाएं अथवा जिसके न होने पर वे अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट लागतों के अनुरूप होंगे।

(2) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का कोई प्राधिकार अथवा इसके द्वारा समुद्री केबल प्रणाली से अथवा समुद्री केबल प्रणाली कंसोर्टियम के सदस्य से अथवा संबंधित समुद्री केबल कंसोर्टियम से प्रयोग के विलोप्य अधिकार अथवा पट्टे पर संदर्भ क्षमता अर्जित करने के लिए की गई कोई व्यवस्था या तो वापस ले ली गई हो अथवा निरस्त कर दी गई हो परंतु उसे बाद में पुनःबहाल कर दिया गया हो, तो एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था, यदि यह ऐसे वापस लिए जाने अथवा निरस्त किए जाने के कारण विच्छेदित कर दी गई थी, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा, यथास्थिति, पुनः संयोजित अथवा पुनःबहाल करने के प्रयोजनार्थ उपगत सभी लागतों का पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को भुगतान करने पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण व्यवस्था बहाल की जा सकेगी, तथा ऐसे पुनःसंयोजन अथवा पुनःबहाली प्रभार वे होंगे जैसाकि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा तय किया जाएं अथवा जिसके न होने पर वे अनुसूची के भाग II में निर्दिष्ट लागतों के अनुरूप होंगे।

अध्याय III
सह–स्थान स्थल तथा सह–स्थान जगह

15. सह–स्थान जगह के प्रावधान के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा आवेदन– (1) प्रत्येक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, जो विनियम 4 के अंतर्गत किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग पर सह–स्थान जगह के लिए आवेदन करती है, उस समय अनुसूची के भाग IV में निर्दिष्ट प्रपत्र में केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को, साथ–साथ, दूसरा आवदेन करेगी, यदि उसके द्वारा ऐसी सह–स्थान जगह ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी से किसी समुद्री केबल प्रणाली पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के लिए अपेक्षित हो, जिसके साथ वह निम्नलिखित संलग्न करेगी, अर्थात –

(क) उस सह–स्थान पर उपस्कर की ले–आउट योजना जहां पर सह–स्थान जगह के लिए अनुरोध किया गया है;

(ख) समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग का उद्देश्य;

(ग) स्थापना के लिए प्रस्तावित सह–स्थान उपस्कर

(घ) स्थान एवं विद्युत आवश्यकताओं के विवरण

(ङ) सह–स्थान उपस्कर की फ्लोर लोडिंग

(च) अपेक्षित ट्रांसमिशन टाई–केबल का विनिर्देशन

(छ) प्रयोग की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार

(ज) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का पता, दूरभाष संख्या, फैक्स और ई–मेल जिस पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा संप्रेषण किए जाने हैंः

(झ) उपस्कर के सह–स्थान के लिए कोई अन्य अपेक्षा।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप–विनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के दस दिन के भीतर पावती देगा तथा उप–विनियम (1) में उल्लिखित अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विषय में सूचित करेगा।

(3) यदि किन्हीं वैध कारणों से केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह–स्थान उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं है, तो ऐसा स्वामी, उप–विनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन की प्राप्ति के दस दिन की अवधि के भीतर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को, ऐसी अव्यवहार्यता और उसके वैध कारणों के बारे में लिखित में सूचित करेगा। कारणों के लिखित वक्तव्य के साथ, सूचित करेगा।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उप–विनियम (1) के अंतर्गत पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार करेगा, यदि एक्सेस प्राप्तकर्ता एक पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नहीं है अथवा उसे अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति अथवा लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

(5) उप–विनियम (2) के अधीन केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात् पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, ऐसी पुष्टि की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ सह–स्थान पट्टा करार करेगी।

16. सह–स्थान प्रभार तथा भुगतान निबंधन – (1) सह–स्थान प्रभार, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा, जिसे केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा सह–स्थान उपलब्ध कराया गया है, विनियम 15 के उप–विनियम (5) के अधीन करार किए जाने के पांच दिन के भीतर, केबल लैंडिंग स्टेशन के ऐसे स्वामी को देय होंगे।

(2) उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट सह–स्थान प्रभार ऐसे होंगे जैसे विनियम 3 के उप–विनियम (4) के अधीन प्रकाशित केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव में शामिल किए गए थे।

परंतु, यह कि प्राधिकरण, अधिनियम के अंतर्गत इसके द्वारा बनाए गए किसी विनियम द्वारा, ऐसे सह–स्थान प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जोकि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के वर्ग अथवा वर्गों द्वारा देय होंगे तथा ऐसे मामले में सह–स्थान प्रभारों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन, जैसाकि अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट किया गया है, इन विनियमों के अंतर्गत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अनुसूची के भाग III के उप पैरा ख के अधीन विनिर्दिष्ट सह–स्थान सेवाओं के प्रावधान हेतु समयावधि के होते हुए भी, सह–स्थान प्रभार, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा उनके द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई समय–सीमा के अनुसार देय होंगे तथा जहां ऐसी समय–सीमा की सहमति नहीं बन सकी है, वहां सह–स्थान प्रभारों का ऐसे अंतरालों पर भुगतान किया जाएगा, जैसाकि उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट हैं।

(4) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, विनियम 15 के उप–विनियम (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर तथा सभी प्रभारों की प्राप्ति पर और इन विनियमों के अधीन अन्य अपक्षाओं की पूर्ति होने पर, ऐसी भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को, जिसने ऐसा आवेदन किया है, केबल लैंडिंग स्टेशन पर, ऐसी सह–स्थान सुविधा के लिए समय–सीमा सहित पारस्परिक रूप से सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार सह–स्थान सुविधा उपलब्ध कराएगा।

17. **वैकल्पिक सह–स्थान जगह का आवंटन** – (1) यदि स्थान की कमी अथवा किसी अन्य वैध कारण से केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा अनुरोध किए गए वास्तविक सह–स्थान को प्रदान करने में असमर्थ है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी वास्तविक सह–स्थान के विकल्प देने के लिए युक्तिसंगत उपाय करेगा ताकि ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था एक्सेस सुविधा प्राप्त करने में सफल हो सके:

परंतु यदि केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह–स्थान जगह प्रदान करने में असमर्थ है और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था एक वास्तविक सह–स्थान जगह की व्यवस्था करने में असफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी वास्तविक सह–स्थान के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन के सह–स्थान और अंतरसंयोजन के लिए वैकल्पिक स्थल से संबंधित प्रभार पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे।

(3) यदि केबल लैंडिंग स्टेशन पर स्थान के अभाव के कारण अथवा किन्हीं अन्य वैध कारणों से कोई पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा किसी वास्तविक सह–स्थान सुविधा प्रदान की जाती है, तो ऐसे मामले में केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन में अंतरसंयोजन केबल चलाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित अवयव (जिसमें भवन के भीतर डक्ट शामिल है) उपलब्ध कराएगा जिसके लिए प्रभार पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा देय होंगे व वहन किए जाएंगे।

(4) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वास्तविक सह–स्थान जगह से केबल लैंडिंग स्टेशन तक दूरसंचार संपर्क की व्यवस्था करेगी, जिसकी लागत का वहन ऐसी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा किया जाएगा।

18. अतिरिक्त सह–स्थान जगह तथा सह–स्थान उपस्कर – (1) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान जगह में इसके किसी भी सह–स्थान उपस्कर को बदलने, परिवर्धित करने अथवा पुनः व्यवस्थित करने का आशय रखती है अथवा सह–स्थान जगह में अतिरिक्त सह–स्थान उपस्कर स्थापित करना चाहती है, तो यह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्धन, पुनःव्यवस्था अथवा अतिरिक्त सह–स्थान उपस्कर अथवा प्रतिस्थापन के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन

के स्वामी को लिखित में अनुरोध प्रस्तुत करेगी तथा केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के दस दिन के भीतर, ऐसे प्रतिस्थापन, परिवर्धन अथवा पुनःव्यवस्था के लिए अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

(2) उप–विनियम (1) के अंतर्गत किए गए ऐसे अनुरोध के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से स्वीकृति की प्राप्ति होने पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समस्त प्रभारों का भुगतान करने तथा इन विनियमों के अधीन अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात् सह–स्थान जगह में अपने किसी सह–स्थान उपस्कर को, यथास्थिति, परिवर्धित, पुनःव्यवस्थित अथवा प्रतिस्थापित करेगी अथवा सह–स्थान जगह में अतिरिक्त सह–स्थान उपस्कर स्थापित करेगी।

19. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह–स्थान उपस्करों की स्थापना– पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था जिसने विनियम 15 के उप–विनियम (5) के अधीन केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ करार किया है अनुसूची के भाग V में निर्दिष्ट सह–स्थान उपस्कर स्थापना एवं अनुरक्षण पद्धतियों के अनुरूप उसके तथा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हुए सह–स्थान जगह में अपने सह–स्थान उपस्कर स्थापित करेगी।

20. केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह–स्थान जगह के लिए वास्तविक एक्सेस हेतु प्राधिकार– यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा विनियम 15 के उप–विनियम (1) के अंतर्गत किए गए आवेदन को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अनुसूची के भाग VII में निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके कार्मिकों के नामों को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को सूचित करेगी जो उन्हें सह–स्थान जगह पर एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करेगा और अनुसूची के भाग VI में निर्दिष्ट प्रपत्र में वास्तविक रूप से एक्सेस करने के लिए प्रमाणन जारी करेंगी।

21. सह–स्थान को उप–पट्टे पर देने का प्रतिषेध – पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन और सह–स्थान स्थल पर सह–स्थान जगह के संदर्भ में पट्टा अथवा उप–किराएदारी नहीं कर सकेगी।

22. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन में समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली सह–स्थान जगह – (1) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह–स्थान जगह का प्रयोग केबल लैंडिंग स्टेशन में समुद्री केबल क्षमता की एक्सेसिंग के लिए किया जाएगा।

(2) सह–स्थान जगह पर स्थापित पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपस्करों का प्रयोग, निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा–

(क) बैकहॉल सर्किट का प्रावधान करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर विनियम 8 के उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट बैकहॉल सर्किट प्रदाताओं अथवा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाओं के बीच अंतरसंयोजनों के लिए;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाओं के परिसरों या तथा प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस की संदर्भ क्षमता का विस्तार करने के लिए।

23. सह–स्थान जगह के पट्टे की समाप्ति – (1) सह–स्थान जगह के बंद हो जाने अथवा संदर्भ क्षमता के पट्टे की समाप्ति के मामले में, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, यथास्थिति, ऐसे बंद होने अथवा संदर्भ क्षमता के पट्टे की समाप्ति से पूर्व छह माह से अन्यून अवधि का लिखित में, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को नोटिस देने के पश्चात् सह–स्थान जगह का पट्टा समाप्त कर सकेगा तथा सह–स्थान जगह के पट्टे की ऐसी समाप्ति नोटिस में निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

(2) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, सह–स्थान का पट्टा समाप्त कर सकेगा, यदि–

(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वैध लाइसेंस धारण करना समाप्त कर देती है अथवा लाइसेंसर, भारत की संप्रभुता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था, शालीनता अथवा मर्यादा अथवा किन्हीं अन्य कारणों से ऐसे पट्टे की समाप्ति का निदेश देता है;

(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था विनियमों अथवा अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जारी निर्देशों के उल्लंघन में अथवा लाइसेंस के निबंधनों के उल्लंघन में सह–स्थान जगह का उपयोग करती है अथवा उसके उपयोग की अनुमति देती है;

(ग) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था इसे सह–स्थान उपस्करों को हटा लेती है अथवा त्याग देती है अथवा ऐसे स्थान को 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए निरर्थक रखती है;

(घ) सह–स्थान जगह इन विनियमों के अधीन सुविधाएं एक्सेस करने के प्रयोजन के लिए असुरक्षित अथवा अनुप्रयुक्त हो गई हैः

परंतु यह कि केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी खंड (ख) से (ग) के अधीन सह–स्थान जगह के पट्टे को तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक कि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को दस दिन के अन्यून अवधि का नोटिस न दे दिया गया हो।

(3) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा पट्टे की अवधि की समाप्ति के पूर्व किए गए अनुरोध पर सह–स्थान जगह के पट्टे की समाप्ति होने पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रकार देय होंगे, अर्थात् –

(क) सह–स्थान प्रभार जोकि छह माह से अनधिक की अवधि के लिए देय हो;

(ख) बकाया यथानुपात स्थल तैयारी कार्य–प्रभार।

(4) उप–विनियम (3) में अंतिर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को दस दिन से अन्यून का नोटिस देकर, किसी भी समय, सह–स्थान जगह के पट्टे को समाप्त कर सकेगा यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नब्बे (90) दिन के भीतर इसके सह–स्थान उपस्कर की स्थापना को पूर्ण करने में सफल रहती है।

(5) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, इसके युक्तिसंगत नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण, इसके सह–स्थान उपस्कर की स्थापना को पूर्ण करने में असफल रहती है,

तो यह ऐसी परिस्थितियों की सूचना केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को देगी जो पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसके सह–स्थान उपस्कर की स्थापना के लिए समय का युक्तिसंगत विस्तार प्रदान करेगा।

(6) यदि उप–विनियम (1) के अधीन पट्टे की समाप्ति पर पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था इसके सह–स्थान उपस्कर के प्रयोग को समाप्त करने तथा उस विनियम के अधीन इसके सह–स्थान उपस्कर को हटाने में असफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी सह–स्थान उपस्कर को हटा सकेगा तथा सह–स्थान जगह को इसकी वास्तविक स्थिति में पुनःबहाल करेगा।

(7) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की सह–स्थान जगह के पट्टे की अवधि पूरी होने अथवा समाप्ति पर, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को, सह–स्थान उपस्कर को हटाने के पश्चात् (जिसमें सह–स्थान उपस्कर का निपटान भी शामिल है) उप–विनियम (6) के अधीन पुनःबहाली के लिए किए गए कार्य से जुड़ी हुई सभी युक्तिसंगत लागतों का भुगतान करेगी।

(8) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की सह–स्थान जगह के पट्टे की अवधि पूरी होने अथवा समाप्ति पर, सह–स्थान जगह के लिए प्रदान की गई कोई वास्तविक एक्सेस वापस ले ली जाएगी।

(9) यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को पहले से समाप्त सह–स्थान सुविधाओं की पुनःबहाली अपेक्षित है तो वह इसके लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध करे जो यथाशीघ्र पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए सह–स्थान सुविधाओं की पुनःबहाली के लिए युक्तिसंगत प्रयत्न तथा समस्त प्रयास करेगा।

(10) इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात को, किसी सेवा गारंटी करार के लिए अथवा विनिर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल प्रणाली के निष्पादन पर केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा किसी अभ्यावेदन को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी पर बाध्यकारी होना नहीं माना जाएगा।

(11) उप–विनियम (2) में निर्दिष्ट केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था किसी पुनःबहाली व्यवस्था के लिए, जिसमें यदि आवश्यक हो, तो वैकल्पिक संप्रेषण माध्यम शामिल है, यथास्थिति, समुद्री केबल प्रणाली के स्वामी अथवा समुद्री केबल प्रणाली के सदस्य के साथ बातचीत कर सकेगा।

अध्याय IV
प्रकीर्ण

24. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह–स्थान उपस्कर के एक दूसरे के निकटवर्ती स्थानों पर रखने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी का कोई दायित्व न होना–केबल लैंडिंग स्टेशन का प्रत्येक स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा इसके सह–स्थान उपस्कर को एक दूसरे के निकटवर्ती रखने के लिए किए गए युक्तिसंगत अनुरोध को पूरा करने का प्रयास करेगा परंतु ऐसा अनुरोध इसके सह–स्थान उपस्कर के निकटवर्ती स्थापित करने के लिए पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा तथा

केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा आवंटित सह–स्थान और यथाअवधारित सह–स्थान उपस्कर की वास्तविक स्थापना अंतिम होगी।

25. सह–स्थान करार की अवधि – (1) सह–स्थान ढांचे के अंतर्गत पट्टे पर ली जाने वाली प्रत्येक सह–स्थान जगह के बारे में पक्षकारों के बीच करार उस तारीख से प्रारंभ होगा जिससे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान जगह के लिए प्रभारों की स्वीकार्यता के लिए अपनी पुष्टि करती है और उसके लिए भुगतान करती है तथा यह इस प्रकार प्रारंभ होने से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि अथवा ऐसी अवधि जिसपर पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत हों, के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(2) उप–विनियम (1) में उल्लिखित सह–स्थान सुविधा की अवधि का नवीकरण केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा तभी किया जाएगा, यदि पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था ने सह–स्थान प्रभारों के भुगतान में चूक नहीं की है अथवा इसने ऐसे करार की किसी निबंधन अथवा शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

26. प्रतिवेदन संबंधी अपेक्षाएं – विनियम 6 के अधीन किया गया एक्सेस सुविधा करार अथवा विनियम 15 के उप–विनियम (5) के आधीन किया गया सह–स्थान पट्टा करार अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी तथा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच इन विनियमों के उपबंधों के अनुरक्षण में किए गए प्रत्येक अन्य करार, ऐसे करार किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

<u>अनुसूची</u>

केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस–आरआईओ) का प्रपत्र

[केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 के विनियम 3 को देखें]

भाग–I

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर एक्सेस सरलीकरण का अनुरोध करने के लिए आवेदन प्रपत्र

(देखें विनियम 4)

मैसर्स .... (पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का नाम) एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित क्षमता के एक्सेस सरलीकरण के लिए अनुरोध करता है जो अनिवार्य सुविधाओं के एक्सेस सरलीकरण, जिसमें केबल लैंडिंग स्टेशन पर अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबल हेतु लैंडिंग सुविधाएं शामिल हैं, के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित) दूररसंचार एक्सेस विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए "केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस–आरआईओ) में प्रकाशित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है।

मैसर्स .... निम्नानुसार आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें –

1. कंपनी का नाम और उसका पता	
2. बिलिंग पता	
3. संपर्क व्यक्ति 3.1 नामः 3.2 दूरभाष सं0ः 3.3 ई–मेलः 3.4 फैक्सः	
4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
4.1 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर	
4.2 इंटरनेट सेवा प्रदाता	
4.3 लाइसेंस संख्या	
4.4 लाइसेंस जारी करने की तारीख	

(कृपया यथा लागू लाइसेंसों और वैध गेटवे लाइसेंस की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
5. संदर्भ क्षमता के तकनीकी ब्यौरे (कृपया संबंधित जानकारी और ब्यौरे, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध कराएं अथवा संलग्न करें)	
5.1 संदर्भ क्षमता ब्यौराः गति (एसटीएम–1 / एसटीएम–4 / एसटीएम–16 / एसटीएम–64 आदि)	
5.2 क्षमता इकाइयों की संख्या	
5.3 प्रयोग का विलुप्य अधिकार अथवा पट्‌टे पर देना	
5.4 अवधि (पट्‌टे पर देने के मामले में)	
6. समुद्री केबल की संदर्भ क्षमता के तकनीकी ब्यौरेः–	
6.1 केबल स्टेशन बैकहॉल पोर्ट ब्यौरे (क्षमता और टाइप–एसटीएम–1ई / एसटीएम–1ओ / एसटीएम–4 / एसटीएम–16 / एसटीएम–64 आदि)	
6.2 समुद्री केबल प्रणाली क्षमता स्वामी द्वारा सौंपा गया कार्य, यदि उपलब्ध हो, (समुद्री केबल में स्लॉट अथवा फाइबर पेयर आवंटन, धारक का पदनाम, केबल प्रणाली स्वामी का आंतरिक आईडी आदि)	
6.3 बैकहॉल सर्किट परीक्षण की प्रस्तावित / अनन्तिम तारीख	
6.4 प्रस्तावित परीक्षण कार्यक्रम और संदर्भ क्षमता परीक्षण की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए कोई अन्य संबंधित तकनीकी जानकारी सहित केबल प्रणाली के स्वामी द्वारा जारी कार्य आदेश / दस्तावेज की प्रति	
6.5 एक छोर से दूसरे छोर तक परीक्षण (पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था और दूरवर्ती समुद्री केबल स्टेशन के बीच) कार्यक्रम और केबल लैंडिंग स्टेशन पर संदर्भ क्षमता की एक्सेस का प्रावधान करना।	
7. संदर्भ क्षमता स्वामी (यों) / समुद्री केबल क्षमता स्वामी (यों) के ब्यौरे (विनियम 4 के उप–विनियम (1) का खंड (ग) देखें)	

7.1 कंपनी का नाम और पता	
7.2 संपर्क व्यक्ति 7.2.1 नामः 7.2.2 दूरभाषः 7.2.3 ई–मेलः 7.2.4 फैक्सः	
8. बैकहॉल सर्किट प्रदाता (यों) (लोकल लूप सहित घरेलू संपर्क) के ब्यौरे	
8.1 कंपनी का नाम और पता	
8.2 संपर्क व्यक्ति 8.2.1 नामः 8.2.2 दूरभाषः 8.2.3 ई–मेलः 8.2.4 फैक्सः	
9. पंजीकरण शुल्क भुगतान का ब्यौरा	
9.1 चैक / बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट सं0 ....दिनांक ... . रुपये .... (बैंक / शाखा) पर आहरित	
10. इस प्रपत्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (कृपया प्राधिकार संलग्न करें)	
11. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हैं किंतु जो इस प्रपत्र के क्र.सं. 1 से 9 तक में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांकः ....

नामः ....

हस्ताक्षरः ....

अधिकारिक मुहरः ....

भाग–II

(देखें विनियम, 3,7,10,12,14 और 16)

प्रभारों का ब्यौरा (1)		देय राशि (रुपयों में) (2)
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सेस सरलीकरण प्रभार		
प्रयोग के विलुप्य अधिकारों अथवा पंजीकृत पट्टे के आधार के मामले में एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई क्षमता एक बारीय एक्सेस सरलीकरण प्रभार		
क्र0सं0	**प्रति इकाई क्षमता**	
(i)	एसटीएम–1	
(ii)	एसटीएम–4	
(iii)	एसटीएम–16	
(iv)	एसटीएम–64	
1.2 पट्टे के मामले में, एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई क्षमता पर आवर्ती एक्सेस सरलीकरण प्रभार और उसके बाद प्रत्येक परवर्ती वर्ष की देय तारीख से पहले (प्रारंभ होने की तारीख का एक वर्ष हो जाने पर)। (प्रत्येक इकाई क्षमता के लिए केवल पहले तीन वर्षों अथवा यथालागू अवधिं के लिए लागू)		
क्र0सं0	**प्रति इकाई क्षमता**	
(i)	एसटीएम–1	
(ii)	एसटीएम–4	
(iii)	एसटीएम–16	
(iv)	एसटीएम–64	
2. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) प्रभार		
2.1 एक्सेस सरलीकरण करार हो जाने पर देय प्रति इकाई वार्षिक प्रभार और उसके बाद प्रत्येक परवर्ती वर्ष की देय तारीख से पहले (प्रारंभ होने की तारीख का एक वर्ष हो जाने पर)।		
क्र0सं0	**प्रति इकाई क्षमता**	
(i)	एसटीएम–1	
(ii)	एसटीएम–4	
(iii)	एसटीएम–16	
(iv)	एसटीएम–64	
3. एक्सेस सुविधाओं के समाप्त होने अथवा विच्छेदन होने की स्थिति में प्रति इकाई क्षमता एक बारीय पुर्नबहाली प्रभार		
क्र0सं0	**प्रति इकाई क्षमता**	
(i)	एसटीएम–1	
(ii)	एसटीएम–4	
(iii)	एसटीएम–16	
(iv)	एसटीएम–64	

4. सहस्थान प्रभार – (कृपया मदों और उनके प्रभारें के अलग–अलग निर्दिष्ट करें जैसे–प्रति वर्ग फुट भवन स्थान प्रभार, डक्ट और केबल रनवे प्रभार, वितरण ढांचा, स्थानापन्न एसी पावर सहित एसी पावर, डीसी पावर, अन्य भौतिक/पर्यावरणीय सेवाओं सहित वातानुकूलन, सुरक्षा और स्थल अनुरक्षण आदि)		
5. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए रद्दकरण प्रभार (देखें विनियम–12)		
क्र0सं0	**प्रति इकाई क्षमता**	
(i)	एसटीएम–1	
(ii)	एसटीएम–4	
(iii)	एसटीएम–16	
(iv)	एसटीएम–64	
6. एक्सेस प्राप्तकर्ता होने के नाते पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए कोई अन्य प्रभार अथवा विवरण, जोकि इस प्रपत्र की क्रम संख्या 1 से 5 में निर्दिष्ट नहीं है।		

टिप्पणी: *केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, विनियम 3 के उप–विनियम (1) के खंड (घ) के अनुसार केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ–अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, प्राधिकरण को विचारित लागत–निर्धारण अवयव, उनकी लागत और अपनाई गई लागत–निर्धारण पद्धति तथा अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता एक्सेस और सहस्थान सुविधा के लिए इन विनियमों की अनुसूची के भाग–II में ऊपर दिए गए प्रभार लगाने हेतु तैयार किया गया परिकलन–पत्र उपलब्ध कराएगा।*

भाग–III

केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एक्सेस सरलीकरण सेवाओं और सहस्थान सेवाओं के प्रावधान के लिए दी गई समयावधि

(देखें विनियम 4,5,6,7,8,9,15 और 16)

क्रियाकलाप (1)	दिन (समयावधि)
क. एक्सेस सरलीकरण सेवाओं के प्रावधान के लिए समयावधि	
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध प्रस्तुत करती है।	1 दिन
2. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी व्यवहार्यता की जांच करता है और एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को एक्सेस सरलीकरण और परीक्षण के लिए स्वीकृति अथवा संशोधित कार्यक्रम भेजता है और उसे बीजक के लिए प्रोफार्मा उपलब्ध कराता है।	11 दिन (अधिकतम 10 दिन)
3. पुष्ट मांग की तारीख {x एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बीजक के अनुसार भुगतान करने सहित एक्सेस सरलीकरण करार पर हस्ताक्षर करने में लिया गया समय है}; नीचे दिए गए खंड (क) के और खंड (ख) के अनुसार x अधिकतम 5 दिनों की समय सीमा है –	11 दिन + x
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा एक्सेस सरलीकरण करार के लिए समय–सीमा	5 दिन
(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बीजक के अनुसार भुगतान के लिए समय–सीमा	5 दिन
4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था बैकहॉल की व्यवस्था करती है और उसे उपलब्ध कराती है { y पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करने और उसे उपलब्ध कराने में लिया गया समय है}; नीचे दिए गए खंड (क) के अनुसार y अधिकतम 10 दिनों की समय–सीमा है –	10 दिन
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैकहॉल सर्किट क्षमता वाले केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी सहित किसी सेवा प्रदाता से बैकहॉल सर्किट की व्यवस्था करने के लिए समय–सीमा।	10 दिन
5. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को संदर्भ क्षमता के एक्सेस की सुविधा देने के मद्देनजर सभी क्रियाकलाप पूरा करने का समय	22 दिन+x+y (अधिकतम 10 दिन)
6. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन को संदर्भ क्षमता प्रदान करता है और पांचवां चरण पूरा होने के बाद अधिक से अधिक 2 दिनों में तत्काल उसे क्रास–कनेक्शन उपलब्ध कराता है।	22/24 दिन+x+y (अधिकतम 2 दिन)
7. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हों किंतु इस प्रपत्र के पैरा क कें क्रम संख्या 1 से 6 में निर्दिष्ट न हों।	
ख. सह–स्थान सेवाओं के लिए समय अवधि	
1. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल	1 दिन

लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अनुरोध प्रस्तुत करती है।	
2. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी व्यवहार्यता की जांच करता है और एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को स्वीकृति अथवा कारणों और वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ अस्वीकृति भेजता है।	11 दिन (अधिकतम 10 दिन)
3. केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह–स्थान का प्रावधान उपलब्ध कराता है (Z एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह–स्थान करार पर हस्ताक्षर करने और प्रभारों का भुगतान करने हेतु लिया गया समय है); Z नीचे दिए गए खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार अधिकतम 5 दिनों की समय–सीमा है –	12 दिन + Z
(क) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह–स्थान द्वारा सह–स्थान करार के लिए समय–सीमा	5 दिन
(ख) पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा सह–स्थान हेतु प्रभारों के भुगतान के लिए समय–सीमा	5 दिन
4. अन्य कोई ब्यौरे जो दिए जाने अपेक्षित हों किंतु इस प्रपत्र के पैरा ख कें क्रम संख्या 1 से 3 में निर्दिष्ट न हों।	

भाग–IV
सह–स्थान सुविधा और सेवाओं के लिए अनुरोध का प्रपत्र
(देखें विनियम–15)

अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल क्षमता के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर सह–स्थान सुविधा के अनुरोध के लिए आवदेन–पत्र

मैसर्स .... (एक्सेस की मांग करने वाले का नाम)
एतद्द्वारा सह–स्थान सुविधा का अनुरोध करता है, जो केबल लैंडिंग स्टेशन पर अनिवार्य सुविधाओं (समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित) के लिए दूरसंचार एक्सेस विनियमों, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए ″केबल लैंडिंग स्टेशन–संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस–आरआईओ) में प्रकाशित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है।

मैसर्स .... निम्नानुसार आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करें।

1. कंपनी का नाम और उसका पता	
2. बिलिंग पता	
3. संपर्क व्यक्ति 3.1 नामः 3.2 दूरभाष सं0ः 3.3 ई–मेलः 3.4 फैक्सः	
4. एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
4.1 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर	
4.2 इंटरनेट सेवा प्रदाता	
4.3 लाइसेंस संख्या	
4.4 लाइसेंस जारी करने की तारीख	
5. सह–स्थान के लिए अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का ब्यौरा	
5.1 आवेदन की तारीख	
5.2 आवेदन संदर्भ सं0	
5.3 के प्रयोजनार्थ मांगी गई वास्तविक एक्सेस के लिए अनुमोदन	

5.4 संदर्भ तारीख/एक्सेस का समय			
5.5 एक्सेस की अनुमानित अवधि			
5.6 उन व्यक्तियों के नाम जिनके लिए वास्तविक एक्सेस अपेक्षित है	सं.	व्यक्ति का नाम	संपर्क नंबर
	1		
	2		
	3		
	4		
5.7 सह स्थान स्थल जहां पर सह–स्थान जगह देने का अनुरोध किया गया है।			
5.8 समुद्री केबल क्षमता एक्सेस करने का प्रयोजन			
5.9 लगाया जाने वाला प्रस्तावित सह–स्थान उपकरण			
5.10 स्थान और बिजली संबंधी आवश्यकता			
5.11 सह–स्थान उपकरण की फ्लोर लोडिंग			
5.12 अपेक्षित ट्रांसमिशन टाई–केबल की क्षमता			
5.13 प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार			
6. पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था की ओर से			
6.1 नामः			
6.2 पदनामः			
6.3 संपर्क नंबरः			
6.4 फैक्स नंबरः			
6.5 ई–मेल आइडीः			
6.6 कंपनी की मुहरः			
6.7 हस्ताक्षर			

7. अनुरोध करने वाले पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उत्तर देने वाले केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी (नाम)	
7.1 आवेदन लौटाया गया– अधूरा / अपठनीय	
7.2 स्वीकृत नहीं किया गया	
7.3 अस्वीकृत करने के कारण	
8. संलग्न प्रमाण–पत्र में दिए गए ब्यौरों और शर्तों के अध्यधीन स्वीकृत	
8.1 वैकल्पिक तारीख और समय	
8.2 वैकल्पिक सह–स्थान जगह (यदि लागू हो)	
8.3 केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी का स्वीकृत कोड	
9. केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी की ओर से	
9.1 नामः	
9.2 पदनामः	
9.3 संपर्क नंबरः	
9.4 फैक्स नंबरः	
9.5 ई–मेल आईडीः	
9.6 कंपनी की मुहरः	
9.7 हस्ताक्षर	

भाग–V
सह–स्थान उपकरण स्थापना और अनुरक्षण संबंधी दिशा–निर्देश
(देखें विनियम–19)

1. सह–स्थान जगह पर उपकरण की स्थापना

1.1 सह–स्थान पर उपकरण स्थापित करना

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह–स्थान उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले विस्तृत स्थापना योजना और स्थापना कार्यक्रम प्रस्तुत करे।

(ख) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करे कि उसके सह–स्थान उपकरण की फ्लोर लोडिंग सीमित हो जैसी कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट है। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह प्रमाणित करे कि फ्लोर लैंडिंग सीमा यथाविनिर्दिष्ट से अधिक नहीं होगी।

(ग) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अंतिम स्थल निरीक्षण, अथवा जैसा कि परस्पर सहमति हुई हो, के पश्चात् नब्बे कार्यदिवसों के भीतर सह–स्थान जगह पर अपने सह–स्थान उपकरण स्थापित करे। यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने तर्कसंगत नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण उपकरणों की स्थापना करने में विफल रहती है तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उसके अनुरोध पर स्थापना के लिए एक तर्कसंगत समय विस्तार की अनुमति देगा। इस खंड के अंतर्गत अनुरोध करने वाली पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने नियंत्रक से परे की परिस्थितियों के बारे में बताएगी और ऐसा अनुरोध ऊपरिलिखित नब्बे कार्य दिवस की अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान जगह में सह–स्थान उपकरण से अलग उपकरण स्थापित न करे।

1.2 ऑप्टिकल फाइबर केबल

जब तक कि पक्षकर अन्यथा सहमत न हों, एक्सेस की मांग कर रही भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान जगह पर और सह–स्थान जगह से बाहर लीड इन मेनहॉल तक दो से अधिक वास्तविक ऑप्टिकल फाइबर केबल स्थापित न करें

1.3 पावर और अर्थ

यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था चाहे तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के लिए एक्सचेंज अर्थ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट नामित करेगा और उपलब्ध कराएगा। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को एक्सचेंज अर्थ और पावर स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था करने के लिए सह–स्थान मूल्य सूची में प्रकाशित प्रभारों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगी।

1.4 हस्तक्षेप

प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करे कि सह–स्थान पर उसके सह–स्थान उपकरण दूसरे पक्षकारों के उपकरण, संयंत्र, सुविधाओं, नेटवर्क तथा एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपकरण में कोई बाधा उत्पन्न न करे और इसका उपकरण स्थापना के समय भी ध्यान रखा जाए। किसी हस्तक्षेप की स्थिति में पक्षकार समस्या को तत्काल सुलझाने के लिए एक दूसरे को विश्वास में लेकर तर्कसंगत उपाय करेंगे। जहां पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के उपकरण विद्यमान उपकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और हस्तक्षेप का समाधान नहीं हो सकता है, वहां पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था तुरन्त अपने हस्तक्षेप स्रोत को हटाए।

1.5 मानक प्रचालन प्रक्रियाएं और सुरक्षा

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान जगह में स्थापित अपने सह–स्थान उपकरण की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के संबंध में सह–स्थान जगह के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और किसी अन्य लिखित अनुदेशों, जो केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध कराए गए हैं, का पालन करेगा।

(ख) सह–स्थान जगह की वास्तविक एक्सेस के संबंध में पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था समय–समय पर यथासंशोधित केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी हेतु मानक वास्तविक एक्सेस प्रक्रियाओं का और किसी अन्य लिखित अनुदेशों, जो केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध कराए गए हैं, का पालन करेगा।

(ग) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, सह–स्थान जगह जिनके लिए उपकरण की स्थापना, संशोधन, प्रतिस्थापन अथवा यह जांच करने के लिए उपकरणों में वृद्धि करने के लिए एक्सेस का अनुमोदन किया गया है कि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था योजना और पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को उपलब्ध अन्य लिखित अनुदेशों के अनुरूप उपकरण की स्थापना, संशोधन, अनुरक्षण, प्रचालन, प्रतिस्थापन या उपकरणों में वृद्धि की गई है, का निरीक्षण इसके प्रतिनिधियों/स्टाफ द्वारा कराएगा।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था फर्श, दीवार और सीलिंग स्लैबों पर कोई हैकिंग या ड्रिलिंग काम करने से पहले केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से सलाह करेगा और उसकी सहमति प्राप्त करेगी।

(ङ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था किसी भी उपकरण, सुविधाओं, संयंत्र अथवा नेटवर्क पर कोई काम नहीं करेगा किंतु केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के अर्थ बार और पावर डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंटों/बोर्डों पर काम करने की कोई पाबंदी नहीं है।

(च) केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी का स्टाफ, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सभी अंतरसंयोजनों को केबल लैंडिंग अर्थ बार और पावर डिस्ट्रिब्यूशन प्वाइंटों/बोर्डों के स्वामी के सह–स्थान उपकरण से जोड़ेगा। इस काम का खर्च पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वहन करेगी जैसा कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा प्रकाशित सह–स्थान प्रभारों में दिया गया है।

(छ) जहां पर, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह–स्थान उपकरणों की स्थापना, प्रचालन, अनुरक्षण, प्रतिस्थापन या मरम्मत के दौरान केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के सह–स्थान जगह, संयंत्र, नेटवर्क, उपकरण अथवा सुविधाओं को कोई नुकसान पहुचाती है, तो एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को तत्काल नुकसान के बारे में बताएगी। केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी उस नुकसान को किसी भी प्रकार से, जिसे वह उचित समझे, ठीक कराएगा और उसकी लागत और खर्च एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था वहन करेगी।

1.6 अंतिम निरीक्षण

(क) सह–स्थान जगह पर सह–स्थान उपकरण की स्थापना का काम पूरा होने पर एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी से अंतिम निरीक्षण करने और इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध करेगी कि स्थापना अनुमोदित विस्तृत स्थापना योजना के अनुसार की गई है।

(ख) जहां पर अंतिम निरीक्षण से यह पता चले कि स्थापना अनुमोदित विस्तृत स्थापना योजना के अनुसार नहीं की गई है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी, एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था को इसके बारे में अधिसूचित करेगा। एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अधिसूचना के दस (10) कार्य दिवसों अथवा ऐसे किसी समय, जिस पर सहमति हुई हो, के भीतर पुर्नस्थापना करेगी अथवा अन्य उपयुक्त सुधरात्मक कार्यवाही करेगी।

(ग) यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था पुर्नस्थापना अथवा खंड 1.6 (ख) में दी गई उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह–स्थान उपकरणों को हटाने सहित उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। सुधारात्मक कार्यवाही की उचित लागत का वहन एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था करेगी।

2. सह–स्थान जगह पर सह–स्थान उपकरण का अनुरक्षण

2.1 एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था अपने सह–स्थान उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण अथवा केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के साथ जैसी सहमति हुई हो, के लिए जिम्मेदार होगी।

2.2 यदि एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के सह–स्थान उपकरण में कोई त्रुटि, खराबी अथवा समस्या, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के सह–स्थान जगह अथवा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाती है तो एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाः

(क) जितनी जल्दी हो व्यावहारिक हो, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को अधिसूचित करेगी; और

(ख) त्रुटि, खराबी अथवा समस्या को तत्काल ठीक करेगी या अन्य उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही करे।

2.3 एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा ही इस अनुसूची के अंतर्गत केबल लैंडिंग स्टेशन पर निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय समुद्री केबल पर एक्सेस संदर्भ क्षमता के साथ पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था नेटवर्क को जोड़ने के प्रयोजन के लिए अथवा

बैकहॉल सर्किट का प्रावधान करने के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर स्थित सेवा प्रदाताओं के उपस्कर/नेटवर्क के साथ अंतरसंयोजन के लिए सह–स्थान उपस्करों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2.4 अनुपालन

(क) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी, एजेंट और अनुमोदित उप–संविदाकार समय–समय पर अधिसूचित केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के निर्देशों और सभी उपयुक्त प्रक्रियाओं सहित इस दस्तावेज के उपबंधों का अनुपालन करेगी।

(ख) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था काम करते समय सभी कानूनों, मानकों, प्रमाणनों और पट्टों का पालन करेगी।

(ग) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उसे काम करने अथवा सेवा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति, सरकारी विनियामक अथवा संगत प्राधिकरण से सभी आवश्यक परमिट अनुमोदन और पट्टे प्राप्त हैं।

(घ) एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था का सह–स्थान जगह पर कोई अधिकार, हक अथवा स्वामित्व हित नहीं होगा।

2.5 उपकरण का चिन्हन

एक्सेस की मांग कर रही पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था सह–स्थान उपकरणों को केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा दिए गए निदेशानुसार इस तरीके से चिन्हित करेगी कि यह स्पष्ट हो सके कि इसे पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था द्वारा पट्टे पर लिया गया है।

भाग–VI
सह–स्थान जगह के वास्तविक एक्सेस हेतु प्रमाणन पत्र का प्रपत्र
(देखें विनियम 20)

यह प्रमाणन–पत्र दिनांक .... के संदर्भ .... के माध्यम से अनुरोध आवेदन को दी गई अंतिम स्वीकृति के संयोजन में जारी किया गया है।

इसे नीचे यथाइंगित सह–स्थान जगह हेतु दी गई एक्सेस की अवधि के दौरान पूरे समय तारीख अभिहित पर्यवेक्षक/व्यक्ति द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

एक्सेस के लिए सह–स्थान जगह की स्थिति –
[स्थिति/भवन का नाम]
फोटो पहचान

1. एक्सेस की अनुमोदित तारीख
2. एक्सेस का अनुमोदित समय
3. एक्सेस की अनुमोदित अवधि

केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी की ओर से

हस्ताक्षर ....
संपर्क दूरभाष नंबर ....
फैक्स नंबर ....

भाग–VII
प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और ब्यौरे
(देखें विनियम–20)

क्र0सं0	पात्र भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था (एक्सेस प्राप्तकर्ता) के व्यक्ति/प्रतिनिधि/ठेकेदार का नाम	पहचान पत्र सं0	संपर्क दूरभाष नंबर	फैक्स नंबर
1				
2				
3				
4				
–				

(आर. के आर्नल्ड)
सचिव

टिप्पणी: यह व्याख्यात्मक ज्ञापन केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5) के उद्देश्यों तथा कारणों को स्पष्ट करता है।

केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5) का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पृष्ठभूमि

1.1 अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) इंटरनेट, ब्रॉडबैंड तथा आईपी समर्थकारी सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण अवयव है । अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में

दूरवर्ती छोर आईपीएलसी, अर्ध सर्किट, निकटवर्ती छोर आईपीएलसी अर्ध सर्किट तथा समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशनों तक एक्सेस शामिल होती है । वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी दूरसंचार सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोलते समय, सरकार ने महसूस किया था कि समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन अनिवार्य रूप से एक बाधक सुविधा है तथा यह तथ्य भी ध्यान में रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी एक्सेस इंकम्बेंट अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) प्रचालक की अधिपत्यात्मक स्थिति द्वारा अनेक प्रकार से प्रभावित होगी।

1.2 अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी खंड में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जून 2005 में एक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की थी । ट्राई ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लीज्ड सर्किटों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के उपायों पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) को 16 दिसम्बर, 2005 को सिफारिशें की थीं । अनिवार्य सुविधाओं, जिनमें समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं, की एक्सेस से संबंधित ट्राई की सिफारिशें लाइसेंसर द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं । लाइसेंसर ने आईएलडी लाइसेंस में प्रासंगिक खंडों को संशोधित भी किया है ताकि ट्राई केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए अनिवार्य सुविधाओं (जिनमें लैंडिंग सुविधाएं भी शामिल हैं) की दक्ष, पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्वक एक्सेस सुनिश्चित करने हेतु विनियम बनाने के लिए समर्थ हो सके ।

1.3 अतः ट्राई ने केबल लैंडिंग स्टेशनों पर समुद्री केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित अनिवार्य सुविधाओं हेतु दक्ष, पारदर्शी और गैर–भेदभावपूर्ण एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए विनियम निकालने के प्रयोजन के लिए एक परामर्श–पत्र जारी किया जिसमें मसौदा विनियम भी शामिल था तथा जिसमें केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) तथा सीएलएस पर उपस्कर के सह–स्थान पर समुद्री केबलों के लिए एक्सेस की सुविधा हेतु प्रस्तावित विभिन्न निबंधन एवं शर्तों का विस्तृत विवरण भी दिया गया था । पणधारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मसौदा विनियम के साथ परामर्श–पत्र 13 अप्रैल, 2007 को जारी किया गया । पणधारियों को लिखित टिप्पणियां 30 अप्रैल, 2007 तक प्रस्तुत करनी थीं । कुछ पणधारियों के अनुरोध पर लिखित टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए तारीख को बढ़ाकर 7 मई, 2007 तक कर दिया गया । एटी एंड टी, औरेंज बिजनेस सर्विसेज, बीटी ग्लोबल सर्विसेज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, भारती, वीएसएनएल, रिलायंस, केबल्स एवं वायसलैस, सिफी कम्युनिकेशंस लि., वेरीजन कम्युनिकेशंस प्रा. लि., आईएसपीएआई, टेलसेक्स कंसल्टिंग सर्विस प्रा. लि. तथा एशिया पैसेफिक कैरियर्स कोएलीशन से टिप्पणियां प्राप्त हुईं । टिप्पणियां प्रस्तुत करने की विस्तारित तारीख अर्थात 7 मई 2007 तक पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों के सार को ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया था । पणधारियों के साथ दिल्ली में 14 मई, 2007 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई जिसमें पणधारियों ने विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए ।

2. पणधारियों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों तथा उठाए गए मुख्य मुद्दों की जांच

2.1 प्राधिकरण ने पणधारियों की विभिन्न टिप्पणियों तथा सुझावों पर विचार किया तथा मामले का विस्तार से विश्लेषण किया । स्पष्टता की दृष्टि से पणधारियों द्वारा की गई टिप्पणियों तथा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके पश्चात् मुद्दे पर प्राधिकरण का विचार तथा निर्णय दिया गया है ।

2.2 मुद्दा 1 – विनियम की प्रयोज्यता और आवश्यकता

2.2.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का सारांश नीचे पैरा (क) से (घ) में दिया गया है तथा उनके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है ।

(क) केवल प्रधान प्रचालकों द्वारा नियंत्रित केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस, सह–स्थान तथा बैकहॉल व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रस्तावित विनियम की व्याप्ति को कम किया जाना चाहिए ।

(ख) केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अनिवार्य सुविधाओं और सह–स्थान की एक्सेस के लिए सीएलएस – आरआईओ को संबंधित लैंडिंग स्टेशन प्रचालक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा किसी भी पूर्व विनियम को बहाल नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) सीएलएस के लिए एक्सेस सुविधा विनियम की अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं और साथ ही सीएलएस पर सह–स्थान सुविधाओं की एक्सेस को सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है ।

(घ) इस विनियम का विस्तार नई समुद्री केबलों हेतु लैंडिंग व्यवस्थाओं को अधिदेशित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ।

2.2.2 इस मामले में, प्राधिकरण ने नोट किया कि अधिकांश पणधारी समुद्री केबल लैंडिंग स्टेशन के लिए एक्सेस और सह–स्थान अधिदेशित किए जाने के पक्ष में हैं, जोकि अनेक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं के लिए एक अनिवार्य निवेश है । प्राधिकरण ने आगे यह भी नोट किया कि केवल प्रधान / इंकम्बैंट प्रचालकों द्वारा नियंत्रित केबल लैंडिंग स्टेशन पर एक्सेस, सह – स्थान तथा बैकहॉल व्यवस्था को अधिदेशित करने की इस विनियम की व्याप्ति को सीमित करने से बेहतर परणिाम प्राप्त नहीं होंगे तथा यह स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के अभ्युदय को भी बाधित करेगा । यह एक्सेस के लिए अनुरोध को पूरा करने के लिए केवल प्रधान / इंकम्बैंट प्रचालकों पर बोझ और बाध्यता भी डालेगा तथा इस कारण यह उचित नहीं है । प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ एक्सेसिंग में वर्तमान में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान नहीं है । अतः क्षेत्र में प्रभावी प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए सभी केबल लैंडिंग स्टेशनों, जिनमें भविष्य में चालू होने वाले स्टेशन भी शामिल हैं, के स्वामियों के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस – आरआईओ) को अधिदेशित करने की आवश्यकता है ।

2.3 मुद्दा 2 – नए केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों द्वारा प्राधिकरण को मसौदा सीएलएस–आरआईओ के प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा

2.3.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं

संगत सीएलएस स्वामियों को चाहिए कि नई केबल सिस्टम को सक्रिय करने से पहले छह महीने से अन्यून अवधि का मसौदा आरआईओ उपलब्ध कराएं।

2.3.2 स्वामी द्वारा नई केबल लैंडिंग स्टेशन आरंभ करने से छह महीने पूर्व प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए मसौदा सीएलएस–आरआईओ को प्रस्तुत किया जाना कुछ मामलों में संभव नहीं होगा।

उद्योग के साथ चर्चा में यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि भारत में अन्तरराष्ट्रीय केबल प्रणाली की स्थापना करना लंबा समय लेने वाली जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की निकासियों जैसे सुरक्षा निकासी, सामुद्रिक निकासी और सिविल प्राधिकरण की अनुमति आदि शामिल है। अतः केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन को आरंभ किए जाने की सही तारीख का विनिश्चयन कर पाना संभव नहीं है। अतः प्राधिकरण की राय है कि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा प्राधिकरण को केबल लैंडिंग स्टेशन आरंभ करने की तारीख को या उससे पूर्व अपना सीएलएस–आरआईओ प्रस्तुत किया जाना ही पर्याप्त है।

2.4 मुद्दा 3 – केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी (ओसीएलएस) द्वारा प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए सीएलएस–आरआईओ पर अन्य पक्षकारों की टिप्पणी

2.4.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुईं –
अन्य पक्षकार अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावित सीएलएस–आरआईओ अवधि पर टिप्पणी देना चाहेंगे।

2.4.2 प्राधिकरण ने एक पणधारी के इस दृष्टिकोण को नोट किया और उसकी यह राय है कि ओसीएलएस द्वारा अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत सीएलएस–आरआईओ पर टिप्पणियां मंगाना संगत और उपयुक्त नहीं होगा। चूंकि ओसीएलएस को सीएलएस–आरआईओ प्रस्तुत करते समय सीएलएस–आरआईओ के विभिन्न भागों में निर्धारित प्रभारों को निकालने के लिए अपनाई गई नेटवर्क लागत घटक और लागत निकालने के लिए अपनाई पद्धति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया है। अतः प्राधिकरण की राय है कि पणधारियों से पुनः टिप्पणियां मंगाना परामर्श की पुनरावृत्ति होगी जिससे पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होगा।

2.5 मुद्दा 4 – उन्नयन के लिए समय–सीमा

2.5.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद उन पर विचार किया गया है।

(क) किसी भी प्रकार की उन्नत सुविधा का लाभ विनिर्दिष्ट समय–सीमा के अनुसार होना चाहिए।

(ख) गैर–उपलब्धता की दशा में को–लोकेशन स्पेस के उन्नयन के लिए ओसीएलएस को अधिदेश देने के लिए विनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

2.5.2 समुद्री केबल क्षमता पर पहुंच हेतु क्षमता उन्नयन के लिए अनुरोध करने वाले आईटीई द्वारा उपस्करों की खरीद की जानी अपेक्षित है चूंकि ऐसे अपेक्षित उन्नयन की पूरी लागत का वहन अनुरोध करने वाले आईटीई या विदेशी समुद्री केबल क्षमता के स्वामी जिसके साथ आईटीई ने रेफरेंस क्षमता के अधिग्रहण के लिए करार किया गया है, द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नई लैंडिंग अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन्नयन के मूल घटक मामले के अनुसार अलग–अलग हो सकते हैं। अतः ओसीएलएस को उनके प्रभार निर्धारण और समय–सीमा के लिए और पारदर्शी होने के लिए आदेशित किया जाना ही पर्याप्त होगा और इसे वैश्विक प्रथाओं के अनुसार आपसी बातचीत पर छोड देना ही सर्वोत्तम होगा।

2.6 मुद्दा 5 – एक्सेस सुविधा समापन से पूर्व सूचना

2.6.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं –
सीएलएस स्वामी द्वारा सेवा का समापन करने से पूर्व 30 दिनों की भुगतान अवधि के अतिरिक्त सीएलएस स्वामी द्वारा आईटीई को 14 दिनों को पूर्वलिखित सूचना (दोष सुधार के अवसर के साथ) देनी अपेक्षित होगी।

2.6.2 प्राधिकरण ने समापन से पूर्व सूचना के बारे में पणधारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि यदि अर्हक भारतीय दूरसंचार संस्था द्वारा शोध्य और देय वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार, ऐसे प्रभार देय होने की तारीख से 15 दिनों से अधिक समय तक अदेय रहते हैं तो केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी पात्र आईटीई को ऐसे समापन की 15 दिनों से अन्यून की अवधि में एक लिखित नोटिस देकर उसे उपलब्ध एक्सेस सुविधा को समाप्त कर सकता है। प्राधिकरण की यह राय भी है कि समापन से पहले की नोटिस की अवधि को लेने से विवादों से भी बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नोटिस अवधि से एक और लाभ यह होगा कि प्रभावित पक्ष अर्थात् अर्हक भारतीय अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्था दोष का सुधार कर सकेगी तथा अंतिम उपभोक्ता भी प्रभावित नहीं होंगे।

2.7 मुद्दा 6 – बैकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैक हॉल सुविधा का अंतरसंयोजन और लीजिंग अधिदेश

2.7.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया जा रहा है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) विनियमों से केबल लैंडिंग स्टेशन पर दो को–लोकेटिंग आईटीई के बीच अंतरसंयोजन होना चाहिए। यह आईटीई के बीच अन्तरराष्ट्रीय ट्रैफिक हैण्डऑफ के लिए क्षमता प्रदान करेगा और उन्हें सुविधा के भीतर कई बैकहाल सेवा प्रदाताओं के साथ एक्सेस प्रदान करेगा।

(ख) प्रत्येक केबल लैंडिंग स्टेशन पर प्रतिस्पर्धी बैकहॉल सेवाओं को विकसित करने से पूर्व इन सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धी आईएलडीओ द्वारा अनुचित प्रभार का भुगतान न किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए लागत अभिमुख दरों पर अंतरिम अवधि के लिए प्रधान केबल स्टेशन प्रचालकों द्वारा बैकहॉल सुविधा को लीज पर देने के लिए ट्राई द्वारा अधिदेश दिया जाना चाहिए।

2.7.2 केबल लैंडिंग स्टेशन के प्रधान स्वामी को बैकहॉल सुविधा को लीज पर देने के लिए अधिदेश दिए जाने से अतिरिक्त बैकहॉल सुविधा का सृजन हतोत्साहित होगा। केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को बैकहॉल सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश देने की बजाय यह बेहतर होगा कि किसी भी सेवा प्रदाता से बैकहॉल सुविधा लेने में लोचता प्रदान करने के लिए अधिदेश देने से बैकहॉल सुविधा के लिए अर्हक आईटीई को और अधिक लाभ और विकल्प उपलब्ध होंगे। इस विनियम में प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य उपलब्ध अन्तरराष्ट्रीय बैंडविड्थ के लिए एक्सेस का प्रावधान अधिदेशित करना है और बैकहॉल सर्किट का प्रावधान उपयुक्त शर्त और लोचता पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2.7.3 सीएलएस पर को–लोकेटिंग आईटीई/बैकहॉल सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन से बैकहॉल सर्किट का तीव्र प्रावधान प्रतिस्पर्धी दर पर हो सकेगा। अर्हक आईटीई भी वहां उपस्थित अन्य सेवा प्रदाताओं की बैकहॉल सर्किट क्षमता का उपयोग करके सीएलएस पर अपने उपस्कर को

स्थापित किए बिना भी अन्तरराष्ट्रीय रेफरेस क्षमता के एक्सेस के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे केबल लैंडिंग स्टेशन को–लोकेशन के लिए अनुरोध पर दबाव भी कम हो सकेगा। इसका दूसरा लाभ यह होगा कि बैकहॉल सर्किट के प्रावधान के लिए ओसीएलएस को अधिदेशित किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा अर्हक आईटीई के पास केबल लैंडिंग स्टेशन पर बैकहॉल सर्किट क्षमता रखने वाले ओसीएलएस सहित किसी भी बैकहॉल सर्किट सेवा प्रदाता से प्रतिस्पर्धी दर पर बैकहॉल सर्किट लेने का विकल्प होगा। अतः प्राधिकरण ने इन विनियमों में तदनुसार उपयुक्त प्रावधान किए हैं।

2.8 मुद्दा 7 – एक्सेस सुविधा के लिए प्रभार तथा प्रचालन तथा अनुरक्षण प्रभार क्षमता से बंधे नहीं होंगे

2.8.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) क्रास कनेक्शन सेवाओं के लिए प्रभार क्षमता से बंधे नहीं होंगे। सीएलएसपर वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध वार्षिक आवर्ती एक्सेस प्रभार केबल क्षमता के प्रति एसटीएम–1 या 155 एमबीपीएस के आधार पर लगाया जाता है। इसमें क्षमता और सेवा प्रावधान की लागत के बीच कोई गठजोड़ नहीं है।

(ख) प्रभार लागत अभिमुख होने चाहिए, एक्सेस सुविधा प्रभार, वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार और पुनःबहाली प्रभार "प्रति यूनिट क्षमता" के आधार पर नहीं होने चाहिए। लागत अभिमुख फीस संरचना में प्रति यूनिट क्षमता आधार पर आने वाली एक्सेस लागत को ही उस आधार पर प्रभारित किया जाना चाहिए।

2.8.2 प्राधिकरण ने पणधारियों की इस राय को नोट किया और वह सीएलएस के स्वामियों द्वारा नेटवर्क घटकों की लागत, लागत निर्धारण पद्धति और परिकलन शीट आदि विवरणों के साथ अनुमोदन के लिए अपना सीएलएस–आरआईओ प्रस्तुत करने के बाद इस विषय की जांच करेगा और उस पर विचार करेगा। इस अवस्था में प्राधिकरण ने ओसीएलएस द्वारा प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात प्रकाशित किए जाने वाले प्रभारों के प्रकटन के लिए इन विनियमों में संलग्न अनुसूची के माध्यम से आधारभूत फ्रेमवर्क प्रदान किया है।

2.9 मुद्दा 8 – सुरक्षा मॉनिटरिंग सुविधा की साझेदारी

2.9.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे पैरा (क) और (ख) में संक्षेप में दिया गया है और उसके बाद आने वाले पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) नए आईएलडी प्रचालकों के साथ सीएलएस पर सुरक्षा मॉनिटरिंग सुविधाओं की साझेदारी को अधिदेशित किया जाना चाहिए।

(ख) नए आईएलडी लाइसेंस की शर्तों में लेयर 2 और लेयर 3 वीपीएन सेवाओं को प्रदान करने के लिए विद्यमान लाइसेंसी जिससे अन्तरराष्ट्रीय संयोजन के लिए आपसी करार किया गया है के साथ मॉनीटरिंग क्षमताओं की साझेदारी का प्रावधान है, इस लाइसेंस में दिए गए

प्रावधान नए आईएलडी प्रचालक को अल्प समय अवधि में अपनी सुरक्षा मॉनीटरिंग उपस्कर की स्थापना के लिए प्रतीक्षा किए बिना सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाता है जिससे नए प्रचालकों के लिए संभावित अवरोधों में कमी लाई जा सकी है।

(ग) अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाएं जो केबल लैंडिंग स्टेशन से क्षमता को एक्सेस कर रही हैं उनके पास अपनी डेटा और वॉयस मॉनीटरिंग प्रणाली होनी चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संस्थाएं निर्धारित लाइसेंसिंग शर्तों के अनुसार सभी सुरक्षा संबंधी दिशा–निर्देशों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए।

2.9.2 अन्तरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक (आईएलडीओ) लाइसेंस की दशाओं के माध्यम से उन पर लगाए गए सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। लाइसेंसरों ने पहले ही आईएलडी, जिसमें आईएलडीओ के लिए उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर स्थापित करना आवश्यक है, के माध्यम से आईएलडीओ के लिए सुरक्षा शर्तों के लिए पहले ही अधिदेशित किया है। केबल लैंडिंग स्टेशन में अनिवार्य एक्सेस किसी सुरक्षा शर्त, जो संबंधित लाइसेंसी के अनुसार अपेक्षित है, को किसी भी तरह कम नहीं करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए, अर्हक आईटीई/नए आईएलडीओ के साथ सीएलएस पर सुरक्षा मॉनीटरिंग सुविधा की भागीदारी संबंधित लाइसेंसों और उनमें इस संबंध में निर्दिष्ट की गई शर्तों से शासित होंगी। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि इन विनियमों में इस मुद्दे के लिए किसी प्रकार के विनियम या अधिदेश के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

2.10 मुद्दा 9 – ट्राई द्वारा अंतरसंयोजन करार का पूर्वानुमोदन

2.10.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई

सिद्धांत रूप में सीएलएस–आरआईओ में अनुसरण में केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों और अर्हक आईटी के बीच सभी करार ट्राई द्वारा पूर्वानुमोदित होने चाहिए। इस संबंध में एक्सेस सुविधा करार पूर्वानुमोदित सीएलएस–आरआईओ का एक भाग होना चाहिए। इस से किसी संभावित विलंब से बचा जा सकेगा और कोई भी मनमुटाव पर वाणिज्यिक दृष्टि से बातचीत की जा सकेगी और केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस का समय पर बेहतर प्रावधान करने तथा आवश्यक सुविधाओं के कोलोकेशन में किया जा सकेगा।

2.10.2 प्राधिकरण की यह राय है कि एक बार ट्राई द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन रेफरेंस अंतरसंयोजन ऑफर (सीएलएस–आइआईओ) का अनुमोदन करने तथा ओसीएलएस द्वारा उस आधार जिस पर ऐसा एक्सेस सुविधा करार किया गया है, को प्रकाशित करने के पश्चात अनुमोदनकर्ता की भूमिका का निर्वहन नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और पक्षपातहीनता बनाए रखने के लिए यह उपयुक्त होगा कि प्राधिकरण को करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए अंतर्संयोजन करार प्रस्तुत कर दिया जाए। तदनुसार इन विनियमों में उपबंध किए गए हैं।

2.11 मुद्दा 10 आईएसपी के लिए अंतरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति

2.11.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुईं –

अन्तरराष्ट्रीय गेटवे अनुमति रखने वाले आईएसपी के रूप में अर्हक आईटीई में दोनों प्रकार की अर्थात समुद्री केबल गेटवे और/या सेटेलाइट गेटवे अनुमति शामिल की जानी चाहिए।

2.11.2 इस संबंध में यह समझा गया कि समुद्री केबल क्षमता पर केबल लैंडिंग स्टेशनों के माध्यम से और सेटेलाइट मीडिया पर सेटेलाइट अर्थ स्टेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए अन्तराष्ट्रीय लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी) के माध्यम से इंटरनेट बैण्डविथ को पूरा करने के लिए पृथक अन्तरराष्ट्रीय आईएसपी गेटवे की अनुमति नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय गेटवे युक्त आईएसपी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार उस पर लगाए गए सुरक्षा शर्तों के माध्यम से उन पर लगाए गए सुरक्षा शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। लाइसेंस प्रदान ने इस बारे में अपने लाइसेंस के माध्यम से आईएसपी के लिए सुरक्षा संबंधी शर्ते पहले ही अधिदेशित की है जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग उपस्कर स्थापित करना तथा सुरक्षा एजेंसियों से क्लीयरेंस के पश्चात आईएसपी अन्तरराष्ट्रीय गेटवे के प्रचालन के लिए दूररसंचार विभाग से इसके लिए आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करना शामिल है। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि यदि किसी आईएसपी के पास अनुमति तथा सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा मॉनीटरिंग सुविधाएं हैं तो यह अर्हक आईटीई होने के नाते केबल लैंडिंग स्टेशनों पर अन्तरराष्ट्रीय रेफरेंस क्षमता के लिए सुविधा की मांग कर सकता है।

2.12 मुद्दा 11 – एक्सेस का अनुमोदन और को–लोकेशन प्रभार

2.12.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियां नीचे पैरा (क) से (ग) में संक्षेप में दी गई हैं और उन पर उसके बाद में निम्नलिखित पैराग्राफों में विचार किया गया है –

(क) को–लोकेशन और एक्सेस के लिए प्रभारों का निर्धारण प्रथमतः केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी द्वारा संगत लागत के आधार पर की जानी चाहिए तथा उसे निहित लागत घटकों संबंधी सूचना के साथ ट्राई को प्रस्तुत करना चाहिए। ट्राई को इन प्रभारों का मूल्यांकन अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्किंग दृष्टिकोण से अन्य देशों में प्रचलित उसी प्रकार के प्रभारों के साथ तुलना करके करनी चाहिए।

(ख) रियल एस्टेट, बिजली, मानव संसाधन, एयरकंडीशनिंग, कर आदि की लागत और सीएलएस से एक सुविधाजनक स्थान पर एक्सेस के प्रावधान के लिए क्षमता के विस्तार की लागत अलग–अलग स्थान पर भिन्न–भिन्न हो सकती है। यदि ओसीएलएस को अपने प्रभारों में गैर पक्षपातपूर्ण और पारदर्शी होने के लिए अधिदेशित किया जाता है तो वही पर्याप्त होगा।

2.12.2 प्राधिकरण ने इस सिद्धांत की जांच की कि क्या एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान प्रभारों के लिए लागत आधारित प्रभारों को विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने की जरूरत है अथवा एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान आदि के लिए ओसीएलएस को गैर–भेदभावपूर्ण और पारदर्शी प्रभारों के रूप में प्रकाशित किए जाना आदेशित है । प्राधिकरण ने यह देखा कि अधिकांश देशों में ओसीएलएए विनियामक की पूर्व अनुमति से प्रभारों को प्रकाशित करता है । प्राधिकरण का यह भी मत है कि तर्कसंगत और वाजिब प्रभारों के लिए यह जरूरी है कि ऐसे प्रभार वास्तविक लागत पर आधारित हों और यह केवल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को पहला मौका भी प्रदान करें । यह सही है कि

ओसीएलएस एक्सेस सरलीकरण, प्रचालन और अनुरक्षण, रद्दकरण और सह स्थान स्थल सहित सह स्थान सुविधाओं की व्यवस्था करने ओर उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने में अंतर्ग्रस्त लागत को ध्यान में रखते हुए लागतोन्मुखी सिद्धांतों के आधार पर प्रभारों का निर्धारण करता है । तथापि, ट्राई, प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विभिन्न विनियमों में प्रयुक्त लागत निर्धारण पद्धति के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर इन प्रभारों को स्वीकृति देगा । ट्राई की पूर्व – अनुमति पारदर्शिता, निष्पक्षता और तार्किकता सुनिश्चित करेगी और ओसीएलएस भी विभिन्न प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने में कोई मनमाना दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास नहीं करेगा । इसलिए, प्राधिकरण ने तद्नुसार इन विनियिमों में ओसीएलएस को आदेशित किया है ।

2.13 मुद्दा 12 – प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने का प्रावधान

2.13.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (घ) में दिया गया है और तत्पश्चात निम्नलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

(क) यदि केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी इन विनियमों से इतर किन्ही अन्य तरीकों सहित किसी भी प्रकार से केबल स्टेशन एक्सेस में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में ट्राई को आईटीई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों को भी प्राधिकरण के समक्ष शिकायत करने की अनुमति देनी चाहिए ।

(ख) इस फ्रेमवर्क के लागू होने पर, यदि यह असफल हो जाता है तो कोई भी विवादित पक्षकार ट्राई को हस्तक्षेप करने और विवाद का समाधान निकालने के लिए कह सकता है ।

(ग) विवाद के मामले में, मामला टीडीएसएटी के क्षेत्राधिकार में होगा ।

(घ) ट्राई के सरलीकरण प्रयासों का सदैव स्वागत है ।

2.13.2 टीडीएसएटी के पास विवाद समाधान तंत्र है । तथापि, एक केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी और एक पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संस्था के बीच करार न होने के मामले में, दोनों, संयुक्त रूप से अधिनियम की धारा 14 क के उपबंधों के पूर्वाग्रह के बिना किसी भी समय प्राधिकरण से करार की प्रक्रिया को सरल बनाने का अनुरोध कर सकते हैं । इन विनियमों अथवा बनाए गए किसी अन्य विनियम को प्रभावी रूप से प्रवृत करने और लागू करने के लिए प्राधिकरण, ट्राई अधिनियम के उपबंध के अनुसार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकता है । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि ऐसी शिकायतों के लिए इन विनियमों में कोई अलग प्रावधान करने की कोई जरूरत नहीं है । तथापि, यदि पक्षकार चाहें तो करार करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

2.14 मुद्दा 13 – दण्ड

2.14.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (घ) तक दिया गया है और तत्पश्चात् निम्मिलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

(क) आदेशित समयावधि का पालन करने में विफल रहने पर दण्ड लगाए जाने को शामिल किए जाने की जरूरत है ।

(ख) यदि किसी भी अवस्था में विलम्ब हेतु दण्ड का कोई प्रावधान नहीं होगा तो आदेश अक्षरशः व्यवहार में नहीं लाया जाएगा । कृपया प्राधिकरण सिद्ध विलम्ब के मामले में उपयुक्त और कड़े वित्तीय दण्डों को शामिल करे ।

(ग) जब तक किसी उल्लंघन के मामले में कड़े दण्ड की सिफारिश नहीं की जाती है तब तक प्रस्तावित विनियम के उपबंध सच्चे अर्थों में प्रभावी नहीं होंगे । इसलिए हम चाहते हैं कि प्राधिकरण उन सभी मामलों में, जहां पक्षकार ने इस विनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन किया है, उपयुक्त विनियमों के माध्यम से ओसीएलएस और पात्र आईटीई, दोनों पर दण्ड लगाए ।

(घ) अनावश्यक अथवा अनावश्यक जटिल प्रक्रियाओं को थोपना, जो एक अनुरोध करने वाले पक्षकार द्वारा अनुपालन न करने के जोखिम को बढाता है (जिससे आवेदक पर दण्ड लगता है अथवा उसका आवेदन रद्द हो जाता है)

2.14.2 ट्राई अधिनियम के अनुसार

'' प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

29. यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जा सकती है और उस पर एक लाख रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और दूसरा या परवर्ती अपराध होने पर दो लाख रूपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है और लगातार उल्लंघन करने के मामले में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा जो प्रतिदिन जिसमें अपराध जारी रहा, दो लाख रूपए तक हो सकता है । ''

2.14.3 सेवा प्रदाताओं द्वारा आदेशित समयावधि का पालन न करना ट्राई के विनियम का उल्लंघन है और उस पर ट्राई अधिनियम में उपलब्ध उपबंधो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । अतः प्राधिकरण का यह मत है कि इस संबंध में इन विनियमों में विशेष उपबंध करने की कोई जरूरत नहीं है ।

2.15 मुद्दा 14 – भारत में प्राइवेट केबल लैंडिंग के लिए क्षमता के एक्सेस के लिए आदेश देना

2.15.1 इस मुद्दे पर निम्निलिखित टिपपणी प्राप्त हुई है –

प्रस्तावित विनियम भारत में प्राइवेट केबल लैंडिंग के मामले में प्रभावी नहीं होगी। प्रस्तावित विनियम को सही अर्थों में प्रभावी बनाने के लिए, एकीकृत केबल स्वामी अनिवार्य विनियम के प्रति, तकनीकी व्यवहार्यता और क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन, उत्तरदायी होगा।

2.16.2 प्रस्तावित विनियम का क्षेत्र निष्पक्ष, गैर–भेदभावपूर्ण और पारदर्शी तरीके से केबल लैंडिंग स्टेशन के एक्सेस को आदेशित करना है । ट्राई के लिए एक्सेस सरलीकरण हेतु संदर्भ क्षमता वाले एकीकृत केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामियों के लिए इन विनियमों में कोई ऐसा पृथक प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं है । सभी ओसीएलएस इन विनियमों की एकरूपता के अध्यधीन हैं । तथापि,

यदि बाद में जरूरी हुआ और ऐसे एकीकृत केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी, एक्सेस सरलीकरण /सह स्थान सुविधाओ की व्यवस्था के लिए गैर – भेदभावपूर्ण और गलत काम में लगे पाए गए तो ट्राई इन विनियमों में परिकल्पित सिद्धांतों की आवश्यकता अथवा स्थितिनुसार उपयुक्त विनियामक हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा ।

2.16 मुद्दा 15 – सीएलएस – आरआईओ प्रस्तुत करते समय ट्राई को लागत – निर्धारण अवयव और लागत पद्धति उपलब्ध करायी जाए

2.16.1 इस मुद्दे पर पणधारियों की टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) से (ग) में दिया गया है और तत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में इन पर विचार किया गया है

(क) प्रमुख केबल लैंडिंग स्टेशन स्वामी ट्राई को अनुमोदन हेतु एक्सेस सरलीकरण और सह स्थान के लिए प्रस्तावित प्रभारों को प्रस्तुत करें तथा लागत संघटकों के बारे में अपनी चिंताओं की भी जानकारी दें ।

(ख) चूंकि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है इसलिए ओसीएलएस द्वारा लागत निर्धारण तत्वों / पद्धति का प्रावधान करने को आदेशित करने की कोई जरूरत नहीं है ।

(ग) ओसीएलएस को ट्राई को विश्वास में लेकर केबल लैंडिंग स्टेशन के विभिन्न लागत तत्वों की घोषणा करने के लिए कहा जाए ।

2.16.2 सह–स्थान और एक्सेस के लिए प्रभारों को पहले केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी संगत लागत के आधार पर निर्धारित करे और बाद में उसे लागत संघटकों, लागत निर्धारित पद्धति और परिकलन पत्र संबंधी चिंताओं की जानकारी के साथ ट्राई को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करे । ओसीएलएस द्वारा लागत निर्धारण अवयवों और अपनायी गई पद्धति का ब्यौरा दिए बिना, ट्राई के लिए इन प्रभारों का आंकलन करना और उसे अनुमोदित करना बहुत ही मुश्किल होगा । एक्सेस सरलीकरण प्रभार नई एक्सेस व्यवस्था की गैर आवर्ती आरंभिक लागत पर आधारित है जिसमें निर्माण लागत उपकरण और ऐसे प्रबंधों के लिए विशिष्ट क्रास कनेक्शन एक्सेस आदि तत्व शामिल है । इसी प्रकार, सह स्थान लागत में आवर्ती किराया प्रचालन और भवन की रख रखाव लागत अनुरक्षण , लीज होल्ड, विद्युत और अन्य प्रसुविधाएं भी शामिल हैं । ये लागत विशेष रूप से प्रत्येक एक्सेस प्रबंध अथवा सह स्थान सुविधाओं के लिए हैं और इसलिए प्राधिकरण का यह मत है कि ओसीएलएस , इन विनियमों में विभिन्न उपबंधों के अनुसार सीएलएस – आर आई ओ प्रस्तुत करे और इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची और लागत निर्धारण तत्वों, अपनाई गई पद्धति और परिकलन पत्र आदि का भी ब्यौरा हो ।

2.17 मुद्दा 16 – सह स्थान सेवा के लिए न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि

2.17.1 इस मुद्दे पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को संक्षेप में पैरा (क) (घ) में दिया गया है और तत्पश्चात् निम्नलिखित पैराओं में उन पर विचार किया गया है –

(क) तीन वर्ष की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि आईटीई के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करके प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और प्रतिस्पर्धा के बीच एक तर्कसंगत संतुलन उपलब्ध कराएगी।

(ख) जब विद्यमान संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा तो प्रतिबद्धता की कोई न्यूनतम अवधि नहीं रहेगी ।

(ग) आरंभ में सामान्य अवधि तीन वर्ष हो सकती है और शीघ्र समापन के मामले में छह महीने की सूचना अवधि और सह–स्थान प्रभारों के लिए न्यूनतम एक वर्ष का भुगतान, भले ही वह एक वर्ष की अवधि से पूर्व उस स्थान को खाली कर दे ।

(घ) सह स्थान अवधि संदर्भ क्षमता की अवधि के सह – स्थानिक होनी चाहिए । लीज्ड क्षमता के मामले में, संदर्भ क्षमता की अवधि के अनुरुप सह स्थान अवधि का स्वतः विस्तार होने का प्रावधान होना चाहिए ।

2.17.2 सह स्थान के मामले में कई बार पात्र आईटीई की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा मात्रा में संसाधनों को सृजित करने की जरुरत पड़ती है । तीन वर्ष की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और प्रतिस्पर्धा के बीच एक तर्कसंगत संतुलन उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सह स्थान प्रबंध ओसीएलएस को उचित प्राप्तियों के लिए जरुरी एक पर्याप्त अवधि तक किए जाते हों । सामान्यतया संदर्भ क्षमता प्रयोग का अलोप्य अधिकार (आईआरयू) अथवा वार्षिक लीज या लंबे समय तक लीज के आधार पर ली जा रही है, इसलिए सह स्थान वाले पात्र आईटीई ऐसी सुविधाओं के लिए एक निश्चित भविष्य चाहते हैं जब तक कि संदर्भ क्षमता हेतु एक्सेस सरलीकरण के लिए प्रबंध रहे । प्राधिकरण ने यह विचार किया कि चूंकि पात्र आईटीई कुछ वर्षों के लिए आईआरयू आधार अथवा लीज आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्षमता लेंगे, अतः यह वांछनीय है कि सह स्थान के लिए समय विस्तार निष्पक्ष , गैर–भेदभावपूर्ण, पारदर्शी हो तथा ओसीएलएस द्वारा लागत आधारित प्रभारों का निर्धारण हो और तीन वर्षों की न्यूनतम प्रतिबद्धता अवधि की आरंभिक लीज पूरी होने पर प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद समय समय पर प्रकाशित हो । ऐसा ओसीएलएस को भुगतान करने सहित पात्र आईटीई द्वारा किए गए करार के अनुसार सभी दायित्वों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। प्राधिकरण ने पणधारियों की चिंताओं पर पर्याप्त विचार करने के बाद इन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान किए हैं ।

2.18 मुद्दा 17 – केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामित्व में बदलाव की स्थिति में समापन

2.18.1 इस मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी प्राप्त हुई –

> *समापन में ऐसी स्थितियां शामिल हों जहां पर, यदि सीएलएस कंपनियों का स्वामित्व और सह–स्थान जगह के वास्तविक स्वामित्व में बदलाव होता है तो सीएलएस के करार को करार के अंतर्गत आईआरयू कार्यकाल की शेष अवधि के लिए आईटीई के साथ अपरिवर्तनीय रखा जाएगा और न तो उसे समाप्त किया जाएगा और न ही उसकी निबंधन और शर्तें बदली जाएगी।*

2.18.2 लाइसेंस करार में संगत उपबंध को नीचे उद्धृत किया गया है –

'' मैसर्स .... लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है और जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय है, ...

में है, और जो दूसरे पक्षकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरी (जिसे इसके बाद लाइसेंसी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ में असंगत न हो, को कारोबार, प्रशासकों, परिसमापकों, कानूनी प्रतिनिधियों और स्वीकत्रत कार्यों में इसका उत्तराधिकारी शामिल है) । श्री .... के माध्यम से कार्य कर रही है ।

लाइसेंस करार के उपर्युक्त प्रावधान और उत्तराधिकारी के मुद्दे पर लागू अन्य कानूनों के विभिन्न प्रावधान पात्र आईटीई के हित और पणधारियों की चिंताओं की रक्षा करेंगे नई संस्था / निर्दिष्टि/उत्तराधिकारी को ऐसे सभी दायित्वों और देयताओं को पूरा करना होगा । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि इन विनियमों में इस मुद्दे के विशेष रूप से समाधान करने की कोई जरुरत नहीं है ।